प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>**

<u>रिट याचिका क्रमांक 1336/2003</u>

याचिकाकर्तागण राम किशोर दुबे एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

2 मई 2006 को आदेश हेतु सूचीबद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/–**

**एस. के. अग्निहोत्री**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर**

रिट याचिका क्रमांक 1336/2003

याचिकाकर्तागण राम किशोर दुबे एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायाधीश सतीश के. अग्निहोत्री

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री वी. जी. तामस्कर।

उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए उप महाधिवक्ता श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप शासकीय अधिवक्ता श्रीमती अंजू आहूजा के साथ।

श्री अशोक दस वैष्णव, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए

श्री संजय पटेल, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 के लिए।

---

**आदेश**

**(2 मई, 2006)**

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया ।

1. याचिकाकर्ता, जो मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एम.पी.एस.आर.टी.सी.) में क्रमशः उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक और हेल्पर के रूप में कार्यरत थे, छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर बिलासपुर में तैनात थे। वित्तीय सलाहकार, एमपीएसआरटीसी मुख्यालय हबीबगंज, भोपाल द्वारा जारी दिनांक 13.6.2001 (अनुलग्न पी/6) के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को बिलासपुर से जगदलपुर और याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को बिलासपुर से राजनांदगांव स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को सहायक श्रम और कार्मिक अधिकारी, एम.पी.एस.आर.टी.सी. मुख्यालय हबीबगंज, भोपाल द्वारा पारित

दिनांक 12.6.2001 (अनुलग्न पी/7) के आदेश के अनुसार बिलासपुर से जगदलपुर स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्तागणो ने उपरोक्त स्थानांतरण आदेशों का इस आधार पर पालन नहीं किया कि याचिकाकर्तागणो को कोई यात्रा भत्ता, एस.ए. और बकाया वेतन नहीं दिया गया था। व्यथित होकर याचिकाकर्तागणो ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए रिट याचिका क्रमांक 1226 /2001 के तहत रिट याचिका दायर की।

"(i) याचिकाकर्तागणो ने प्रार्थना की है कि माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण को अपचारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दे अथवा याचिकाकर्तागणो को उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करे, ताकि विधि को सही ठहराया जा सके और बेईमान कर्मचारियों के हाथों लोगों का शोषण रोका जा सके।

(ii) मामले की परिस्थितियों के अनुरूप कोई अन्य उचित एवं उपयुक्त अनुतोष भी प्रदान की जाए ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. रिट याचिका क्रमांक 1226/2001 को 30.10.2001 को अभियोजन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था । इसके बाद याचिका को विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 45 /2002 में पारित दिनांक 5.4.2003 के आदेश द्वारा पुनः स्थापित कर दिया गया । इसके बाद, याचिका को 3.3.2006 को अदम पैरवी के कारण फिर से खारिज कर दिया गया । याचिकाकर्तागणो ने पिछली याचिका रिट याचिका क्रमांक 1226 / 2001 को सीमा अवधि के भीतर पुनः स्थापित नहीं करवाया और इसे अंतिम रूप दिया गया ।

3. याचिकाकर्तागणो ने यह याचिका 23.4.2003 को निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दायर किया:–

"(i) माननीय न्यायालय उत्तरवादी 1 और 2 को निर्देश देने की कृपा करें कि वे याचिका के कंडिका 5.2 और 5.4 में वर्णित ब्याज सहित याचिकाकर्तागणो का वेतन परमादेश रिट के द्वारा जारी करें।

(ii) कि माननीय न्यायालय न्याय के हित में उपयुक्त समझे जाने वाले कोई अन्य रिट या रिट, आदेश या आदेशों, निर्देश या निर्देशों को जारी करने की कृपा करे।

दिनांक 23.1.2006 के संशोधन आदेश द्वारा प्रार्थना खंड 7(iii), दिनांक 5.9.2001 के आदेश (अनुलग्न आर–2/1) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट की मांग करते हुए, याचिका में निम्नानुसार जोड़ा गया था ।

"7(iii) माननीय न्यायालय अनुलग्न आर–2 / 1 को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, अधिकारहीन के एवं अवमाननापूर्ण मानते हुए, सभी परिणामी लाभो के साथ एक उक्त उत्प्रेषण रिट जारी करने की कृपा करें ।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. याचिकाकर्तागणो ने दिनांक 13.6.2001 (अनुलग्न पी/6) और 12.6.2001 (अनुलग्न पी/7) के स्थानांतरण आदेशों की वैधता को चुनौती नहीं दी है। हालाँकि, प्रत्युत्तर में याचिकाकर्तागणो ने प्रार्थना खंड में उक्त स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध कोई अनुतोष की मांग बिना ही उक्त स्थानांतरण आदेशों की वैधता पर सवाल उठाया है।

5. याचिकाकर्तागणो की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किये हैं चूंकि स्थानांतरण आदेश अक्षम अधिकारियों द्वारा पारित किए गए थे, इसलिए वे शून्य एवं गैर–स्थायी थे। इसलिए, इस पर आपत्ति करना आवश्यक नहीं है। यह भी तर्क दी गई कि याचिकाकर्ता जगदलपुर और राजनांदगांव जाकर क्रमशः वहां कार्यभार ग्रहण करके शून्य और गैर–स्थायी आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे । याचिकाकर्तागणो ने हमेशा बिलासपुर में रिपोर्ट की है और याचिकाकर्तागणो को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा बिलासपुर डिपो में काम करने से रोका गया है।

6. याचिकाकर्तागणो ने आगे कहा कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारित अधिसूचना दिनांक 27.12.2002 (अनुलग्न आर–2/2) के अनुसार, याचिकाकर्ता मूल एम.पी.एस.आर.टी.सी. के विघटन पर उत्तरवादी क्रमांक 3 के कर्मचारी बन गए । विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता याचिका के कंडिका 5.2 में की गई गणना के अनुसार

अपने स्थानांतरण की तिथि अर्थात याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 2 के मामले में 13.6.2001 और याचिकाकर्ता क्रमांक 3 के मामले में 12.6.2001 से लेकर आज तक ब्याज सहित संपूर्ण वेतन पाने के हकदार हैं।

7. याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को दिनांक 5.9.2001 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 5.9.2001 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से गलत है, क्योंकि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 ने दिनांक 13.6.2001 के स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया था।

8. उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक दास वैष्णव ने इसके विपरीत तर्क किये हैं की याचिकाकर्तागणो को उत्तरवादी क्रमांक 3 एम.पी.एस.आर.टी.सी. द्वारा स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्तागणो ने न तो स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी है और न ही आदेशों का पालन किया है, इसलिए स्थानांतरण आदेश अंतिम हो गए हैं और याचिकाकर्ता 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर किसी भी वेतन के हकदार नहीं हैं। आगे तर्क दी गई कि उत्तरवादी क्रमांक 2 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों पर भारत संघ द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.12.2002 द्वारा पुराने एम.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम के विघटन के बाद अस्तित्व में आया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. यदि याचिकाकर्ता सफल भी हो जाते हैं, तो भी उत्तरवादी क्रमांक 2 को बकाया वेतन आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को स्थानांतरित स्थान अर्थात राजनांदगांव डिपो में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 18.6.2001 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त किया गया था । याचिकाकर्ता क्रमांक 2 ने स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया और लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहा । इसलिए, प्रारंभिक जांच करने के बाद याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को 5.9.2001 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । उत्तरवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, कोई उचित जांच आवश्यक नहीं थी क्योंकि प्रस्तावित जांच के संबंध में याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गया था, जिस पर याचिकाकर्ता क्रमांक 2 ने ध्यान नहीं दिया। नोटिस भी 31.8.2001 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ । याचिकाकर्ता क्रमांक 2 पूरे समय अनुपस्थित रहा और प्रारंभिक जाँच के आधार पर दिनांक 5.09.2001 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । उत्तरवादी क्रमाँक 2 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार कोई उचित जांच आवश्यक नहीं थी क्योंकि प्रस्तावित जांच के संबंध में याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा गया था, जिस पर याचिकाकर्ता क्रमांक 2 ने ध्यान नहीं दिया। नोटिस भी 31.8.2001 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ । याचिकाकर्ता क्रमांक 2 पूरे समय अनुपस्थित रहा और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

10. वर्तमान एम.पी.एस.आर.टी.सी. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय पटेल ने उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया तथा आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 एवं 2 को स्थानांतरित करने के लिए भोपाल मुख्यालय में वित्तीय सलाहकार सक्षम अधिकारी थे तथा याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को स्थानांतरित करने के लिए भोपाल मुख्यालय में सहायक श्रम एवं कार्मिक अधिकारी सक्षम अधिकारी थे । उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से प्रस्तुत तर्क दस्तावेजों से निराधार रहीं । इसके विपरीत, याचिकाकर्तागणो की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कर्मचारियों के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा जारी आदेश नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि प्रशासनिक नियंत्रण मुख्यालय में प्रबंध निदेशक के पास, संभागीय मुख्यालय में उप महाप्रबंधक (याता)/संभागीय प्रबंधक के पास तथा डिपो में यह नियंत्रण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ डिपो प्रबंधक/डिपो प्रबंधक के पास वेष्ठित होगा ।

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा रिट याचिका, जवाब और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है कि याचिकाकर्तागणो ने स्वयं निर्णय लिया है कि दिनांक 13.6.2001 और 12.6.2001 के

स्थानांतरण आदेश शून्य हैं और तदनुसार उन्होंने थाने में कोई कार्यवाही नहीं की। स्वयं निर्णय लिया कि दिनांक 13.6.2001 और 12.6.2001 के स्थानांतरण आदेश अमान्य हैं और तदनुसार उन्होंने जगदलपुर और राजनांदगांव में नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण थाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। याचिकाकर्तागणो द्वारा लगाए गए दावे कि याचिकाकर्तागणो द्वारा स्थानांतरण आदेशों का पालन इस तथ्य के कारण नहीं किया जा सका कि उन्हें टी.ए., एस.ए. और वेतन के बकाया का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया था, तुच्छ है और इस साधारण आधार पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है कि टी.ए., एस.ए. और वेतन के बकाया का वित्तीय दावा स्थानांतरण आदेशों का पालन करने के लिए पूर्व शर्त नहीं है। याचिकाकर्ता नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद उपरोक्त बताई गई राशि का दावा कर सकते थे। मैंने प्रबंध निदेशक – उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.9.1999 (अनुलग्न पी/8) को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, जो कुछ अधिकारियों जैसे मुख्यालय स्तर पर प्रबंध निदेशक को नियंत्रण और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में सक्षम अधिकारी माना गया था वरिष्ठ डिपो प्रबंधक/डिपो प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को नियंत्रण एवं प्रशासनिक कार्रवाई के सीमित उद्देश्य हेतु सक्षम अधिकारी माना गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. इस मामले में याचिकाकर्तागणो का एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानांतरण किया गया था और ऐसी स्थिति में न तो उप महाप्रबंधक (यातायात)– संभागीय प्रबंधक और न ही वरिष्ठ डिपो प्रबंधक/डिपो प्रबंधक को सक्षम अधिकारी माना जा सकता है। एक संभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को दूसरे संभाग में स्थानांतरित करने के लिए मुख्यालय ही सक्षम कार्यालय प्रतीत होता है । वैसे भी 2.9.1999 का आदेश (अनुलग्न पी/8) यह निर्धारित करने के लिए उचित आदेश नहीं लगता कि किसी अधिकारी/कर्मचारी को एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानांतरित करने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है । इसलिए, याचिकाकर्ता का कहना है कि आदेश शून्य हैं एवं गैर–स्थायी है , स्वीकार्य नहीं है विधि का सुस्थापित सिद्धांत है एक अवैध आदेश भी किसी उच्च प्राधिकारी या उच्च न्यायलय द्वारा अपास्त किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्तागणो ने स्थानांतरण आदेशों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी है कि वे शून्य और

असंवैधानिक हैं, इसलिए उन्हें भोपाल मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पारित स्थानांतरण आदेशों का पालन करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता।

13. **डॉ. रमेश चंद्र त्यागी बनाम भारत संघ और अन्य [(1994) 2 एस.सी.सी. 416)** के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का भरोसा वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि **डॉ. रमेश चंद्र त्यागी (पूर्वोक्त)** के मामले में याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी और इसे न्यायालय द्वारा विधि की दृष्टि में शून्य और गैर–स्थायी घोषित किया गया था । वर्तमान मामले में याचिकाकर्तागणो ने स्थानांतरण आदेशों को चुनौती नहीं दी है और उक्त आदेशों को स्वयं ही शून्य और अस्तित्वहीन मान लिया है ।

14. **रफीक बीबी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम सैयद वलीउद्दीन (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि व अन्य {(2004) 1 एस.सी.सी. 287]** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"8. न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, जिसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और फलस्वरूप वह अमान्य है तथा निष्पादन योग्य नहीं है, तथा न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, जो केवल अवैध है या विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं की गई है, के बीच अंतर होता है। अवैधता या अनियमितता या प्रक्रिया से ग्रस्त डिक्री को निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य नहीं कहा जा सकता; ऐसी डिक्री से व्यथित व्यक्ति का उपाय यह है कि उसे विधिवत् गठित विधिक कार्यवाही में या उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करा दिया जाए, अन्यथा उसे डिक्री के आदेश का पालन करना होगा। न्यायालय द्वारा पारित डिक्री सक्षम क्षेत्राधिकार की वैधता को किसी भी सामपार्श्विक आक्रमण या आकस्मिक कार्यवाही द्वारा उसकी प्रभावकारिता से वंचित नहीं किया जा सकता है ।"

15. सर्वोच्च न्यायालय ने **बलवंत एन. विश्वामित्र एवं अन्य बनाम यादव सदाशिव मुले (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य {(2004) 8 एस.सी.सी. 706)** के मामले में कंडिका 9 और 20 में निम्नानुसार अवलोकन किया है की: –

"9. हमारे विचार के लिए जो मुख्य प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या विचरण न्यायलय द्वारा पारित डिक्री "आकृत एवं शून्य" हो सकती है। हमारी राय में, इस मुद्दे पर विधि अच्छी तरह से स्थापित है। एक डिक्री जो शून्य है और एक डिक्री जो गलत, अनुचित, अनियमित या विधि के अनुसार नहीं है, के बीच के अंतर को नज़रअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जहां किसी न्यायालय के पास डिक्री पारित करने या आदेश देने में निहित अधिकार नहीं है, ऐसे न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना, अवास्तविक एवं आरंभ से ही शून्य होगा। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दोष मामले की जड़ तक जाता है और डिक्री पारित करने या आदेश देने के न्यायालय के अधिकार पर ही प्रहार करता है। इस तरह के दोष को हमेशा बुनियादी और मौलिक माना जाता है और न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा पारित डिक्री या आदेश जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, वह अमान्य है। ऐसे डिक्री या आदेश की वैधता को किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है, यहां तक कि निष्पादन या संपार्श्विक कार्यवाही में भी ।"

"20. हमारी सुविचारित राय में, इस तरह के डिक्री को किसी भी तरह से अकृत नहीं कहा जा सकता। यदि आदेश अकृत एवं शून्य नहीं है, तो स्थापित विधि के अनुसार, ऐसे आदेश से पीड़ित व्यक्तियों को उचित कार्यवाही करनी होगी ।"

16. याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को दिनांक 5.9.2001 के आदेश (अनुलग्न आर-2/1) के तहत बर्खास्त करने के संबंध में, यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने वाला दिनांक 5.9.2001 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से गलत है। दिनांक 5.9.2001 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को उसके आधिकारिक पते पर पंजीकृत डाक द्वारा उचित सूचना दी गई थी और उसके बाद 5.9.2001 (अनुलग्न आर-2/1) के अनुसार, यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने वाला दिनांक 5.9.2001 का विवादित आदेश विधि की दृष्टि से गलत है। दिनांक 5.9.2001 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को उसके

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आधिकारिक पते पर पंजीकृत डाक द्वारा उचित सूचना दी गई थी और उसके बाद 31.8.2001 को समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा सूचित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 ने जानबूझकर कोई जवा ब दाखिल नहीं किया है, न ही जांच में भाग लिया है, इसलिए याचिकाकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया था। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अपचारी कर्मचारी नोटिस के बावजूद अपना जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहता है और नोटिस के बाद विभागीय कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहता है, तो जांच को एकपक्षीय होने या सुनवाई का अवसर दिए बिना गलत नहीं माना जा सकता। इसलिए, 5.9.2001 का आलोच्य आदेश जिसके तहत याचिकाकर्ता क्रमांक 2 की सेवाएं बर्खास्त की गई हैं, विधिक और वैध है और इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं है ।

17. उपरोक्त कारणों से यह याचिका खारिज की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

**अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Shriya Jaiswal, Advocate.